न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **92/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी मां भवन, हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाडा ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : .2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 180280 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को प्रस्तुत किया परन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 1641 दिनांक 16.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी बिन्दुवार सूचना, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के पत्रांक/न्याय/2020/प्र0सं0 5/2020 दिनांक 05.11.2020 से अपीलार्थी को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 15-12-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा